

उद्धोषणा की आवश्यकता है
अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति
(सीआरपीसी की धारा 82 देखें)

जबकि मेरे समक्ष शिकायत की गई है कि आरोपी विनोद गुप्ता उर्फ विनोद जयसवाल पुत्र मुकुंद लाल गुप्ता, निवासी फ्लैट नंबर-103, बिल्डिंग नंबर-9, दीप सागर सोसायटी नियर वजरानी स्पोर्ट्स एकेडमी सेक्टर नंबर-18, नेरुल नवी मुंबई ठाणे महाराष्ट्र-400706, वैली शिप फ्लैट नंबर-1001, एम-13, सेक्टर 36, खारगर नवी मुंबई, रन्म नंबर-703, प्लॉट नंबर-3ए, बालाजी कृपा हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर-28, नेरुल नवी मुंबई में भी प्रतिबद्ध है (या करने का संदेह है) सीबीआई मामले में अपराध एफआईआर संख्या आरसी-2202023 ई 0017 धारा 22/23/29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय है और गिरफ्तारी वारंट वापस कर दिया गया है क्योंकि उपरोक्त आरोपी विनोद गुप्ता उर्फ विनोद जयसवाल एस/ ओ मुकुंद लाल गुप्ता, निवासी फ्लैट नंबर-103, बिल्डिंग नंबर-9, दीप सागर सोसाइटी नियर वजरानी स्पोर्ट्स एकेडमी सेक्टर नंबर-18, नेरुल नवी मुंबई ठाणे महाराष्ट्र-400706, वैली शिप फ्लैट नंबर-1001, एम-13 पर भी, सेक्टर 36, खरगर नवी मुंबई, इसके अलावा कमरा नंबर-703, प्लॉट नंबर-3ए, बालाजी कृपा हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर-28, नेरुल नवी मुंबई उपरोक्त पते पर नहीं मिल सकता है और जबकि यह मेरी संतुष्टि के लिए दिखाया गया है कि उक्त अभियुक्त फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए खुद को छुपा रहा है)।

उद्घोषणा की जाती है कि उक्त आरोपी विनोद गुप्ता उर्फ विनोद जयसवाल पुत्र मुकुंद लाल गुप्ता, निवासी फ्लैट नंबर-103, बिल्डिंग नंबर-9, दीप सागर सोसायटी नियर वजरानी स्पोर्ट्स एकेडमी सेक्टर नंबर-18, नेरुल नवी मुंबई ठाणे महाराष्ट्र -400706, वैली शिप फ्लैट नंबर-1001, एम-13, सेक्टर 36, खारगर नवी मुंबई में, रूम नंबर-703, प्लॉट नंबर-3ए, बालाजी कृपा हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर-28, नेरुल नवी मुंबई में भी। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22/23/29 के तहत दंडनीय एफआईआर संख्या आरसी-220 2023 ई 0017 को 15.07.2024 को या उससे पहले उक्त शिकायत का जवाब देने के लिए इस अदालत के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है।

**विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) (केंद्रीय) द्वारा आदेश
कोर्ट रूम नंबर-11
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-54**

CBC 3220511000712425